



2026:AHC-LKO:42132

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - - 4719 सन् 2026

अमरेश त्रिपाठी उर्फ टिंकू

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा इसके प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ एवं अन्य

.....विरोधी पक्षकार

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : विवेक कुमार पांडेय, प्रदीप कुमार त्रिपाठी

विरोधी पक्षकार के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं. - 12

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के साथ-साथ उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक की ओर से थाना-रानीगंज, जिला-प्रतापगढ़ में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 95/2026, धारा 191(2), 191(3), 190, 109(1) तथा आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम की धारा 7 के तहत जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक एक निर्दोष व्यक्ति है और वह 16.3.2026 से जेल में बंद है। वे आगे प्रस्तुत करते हैं कि प्रश्नगत घटना अचानक उकसावे के कारण हुई थी और इससे पहले आवेदक को 6 अन्य मामलों में भी फंसाया गया था तथा सभी मामलों में वह जमानत पर है। वे यह भी प्रस्तुत करते हैं कि समान भूमिका वाले सह-अभियुक्तों खुर्शीद आलम, राज सिंह और मो. शादाब अली को इस न्यायालय की समकक्षी पीठों द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 3747/2026, 3970/2026 और 3986/2026 में पारित क्रमशः आदेश दिनांक 25.5.2026, 2.6.2026, 3.6.2026 के जरिए पहले ही जमानत दी जा चुकी है (आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रदान किए गए जमानत आदेश अभिलेख पर लिए जाते हैं)। इन परिस्थितियों में, आवेदक भी जमानत का हकदार है। जमानत पर रिहा होने की स्थिति में, वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत दिए जाने की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया कि समान भूमिका वाले सह-अभियुक्तों खुर्शीद आलम, राज सिंह और मो. शादाब अली को इस न्यायालय की समकक्षी पीठों द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है।

पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के परस्पर तर्कों, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री, एफ.आई.आर. की विषय-वस्तु, अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों, सह-अभियुक्तों खुर्शीद आलम, राज सिंह और मो. शादाब अली के जमानत आदेशों, समानता के आधार तथा तथ्यों एवं परिस्थितियों की समग्रता पर विचार करने के बाद, मेरी राय है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आवेदक - अमरेश त्रिपाठी उर्फ टिंकू को उपर्युक्त मुकदमा अपराध में रुपये 20,000/- का व्यक्तिगत बांड और समान राशि के दो विश्वसनीय मुचलके प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा या उसमें भाग नहीं लेगा, जैसा कि उस पर आरोप है, या जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।

(ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं देगा ताकि वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से विमुख हो जाए या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करे।

(iii) आवेदक इस आशय का एक वचनपत्र दाखिल करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित होंगे, तो वह साक्ष्य के लिए तय तिथि पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त के व्यतिक्रम की स्थिति में, विचारण न्यायालय के लिए इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानने और कानून के अनुसार आदेश पारित करने का विकल्प खुला रहेगा।

(iv) आवेदक नियत प्रत्येक तिथि पर या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारण न्यायालय धारा 229-A IPC / 269 BNS के तहत उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकता है।

(v) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 Cr.P.C. / 84 BNS के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है और आवेदक ऐसी उद्घोषणा में तय तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय धारा 174-A IPC / 209 BNS के तहत कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू करेगा।

(vi) आवेदक (1) मामला खोलने, (2) आरोप तय करने तथा (3) धारा 313 Cr.P.C. / 351 BNS के तहत बयान दर्ज करने के लिए तय तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना किसी पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय के लिए ऐसे व्यतिक्रम को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानने और कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्यवाही करने का विकल्प खुला रहेगा।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन जमानत रद्द करने का आधार होगा।

25 जून, 2026

एकेएस

(न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।